सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सूचना का अधिकार मामला

समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय ,नई दिल्ली

चीन प्रभाग

02 मार्च, 2017

सं. ई/551/ 12 /2017-आरटीआई

सेवा मे,

श्री दीपक रजंन
प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया
पीटीआई बिल्डिंग
4, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

विषयः सूचना का अधिनियम 2005 ,के अंतर्गत माँगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 21.02.2017 का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चाही गई जानकारी विदेश मंत्रालय द्वारा संसद के प्रश्नों के दिए गए उत्तर जो कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट *www.mea.gov.in* पर उपलब्ध है, में देखे जा सकते हैं। हाल ही में इस मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दिए गए प्रश्न क्रमांक 816 (आतंकवादी गुटों के संबंध में भारत को चीन की सलाह) का उत्तर इस पत्र के साथ संलग्नित है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय

प्रसन्न श्रीवास्तव

(प्रसन्न श्रीवास्तव), IFS

उपसचिव (चीन और कोरिया), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री मुकेश कुमार अम्बास्ता, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

I/0/155/KTI/MEA/VI KS 10

तारीख : 13-2-2017

165 323/2017

872
21/02/17

सेवा में,

केन्द्रीय जन सम्पर्क अधिकारी
विदेश मंत्रालय भारत सरकार
जवाहर लाल नेहरू भवन, जनपथ रोड
नई दिल्ली - 110001

विषय : आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु

महोदय,

सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, इसके लिए 10 रूपये का पोस्टल आर्डर शुल्क के रूप में संलग्न कर रहा है जिसकी संख्या
है।

1 खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्टं के आतंकवादियों की सूची में शामिल कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है।

2 चीन ने इस बारे में भारत के प्रयासों का कितनी बार विरोध किया ।

3 भारत सरकार इस मामले में क्या चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है ।

4 मुम्बई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद और 1993 के मुम्बई सिलसिलेबार बम विस्फोट के अपराधी दाउद इब्राहम को देश में वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है।

US (Pak) - 1, 4
US (China) - 2, 3
20/2
SO (RTI)
4/2
Mr Vipin

आपका विश्वासी

दीपक रंजन
प्रेस टॅस्ट आफ इंडिया
पीटीआई बिल्डिंग
4, संसद मार्ग
नई दिल्ली 110001

ई मेल. dipakranjan@rediffmail.com

मोबाइल . 9911918723

21

विदेश मंत्रालय
भारत सरकार

प्रश्न सं. 816 आतंकवादी गुटों के संबंध में भारत को चीन की सलाह

फरवरी 09, 2017

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 816
09.02.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

आतंकवादी गुटों के संबंध में भारत को चीन की सलाह

816. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत को राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद का उल्लेख नहीं करने की सलाह दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सलाह पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुटों के प्रमुखों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने की भारत की मांग की पृष्ठभूमि में दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों के संबंध में भारत के पक्ष पर चीनी प्राधिकारियों के संदेह को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[जनरल (डा.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त)]

(क) से (घ) चीन ने कई अवसरों पर आतंकवाद के फैलाव पर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए इस मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। चीन ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के लिए 'जीरो टॉलरेंस' के साथ अपना दृढ़प्रतिज्ञ विरोध जताया है, और इस बात पर सहमत हुआ है कि आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार ने पाकिस्तान की ओर से सीमापार से उत्पऔन्न आतंकवाद के खतरे के मामलों को चीन के साथ दृढ़तापूर्वक और लगातार उठाया है, जिससे भारत सहित पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। खासकर हमने बल देकर कहा है कि जबकि पाकिस्तान में जड़ें जमाए जैश-ए-मोहम्मद पर उसकी कुख्यात आतंकवादी गतिविधियों और अलकायदा से उसके संबंधों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267/1989/2253 के अंतर्गत यूएन सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति द्वारा वर्ष 2001 में ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य सरगना, वित्तपोषक और प्रेरक मसूद अजहर की नामजदगी पर लगातार तकनीकी अड़चने पैदा की जा रही हैं। चीन ने दिसंबर 2016 के अंत में मसूद अजहर का नाम आतंकवादियों की सूची में डाले जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

इसी प्रकार पहले भी हमने लश्कर-ए-तैयबा के सरगनाओं जाकिर उर रहमान लखवी और हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिद्दीन के रहनुमा सयैद सलाहुद्दीन सहित कुख्यात आतंकवादियों पर 1267 यूएन प्रतिबंध समिति में कार्रवाई की मांग की थी और चीन के आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' के घोषित रुख और भारत के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत बनाने की उसकी इच्छा के अनुसार चीन से भारत के अनुरोध का समर्थन करने का अनुरोध किया है। भारत के अनुरोध को 1267 प्रतिबंध समिति सहित व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है। तथापि चीन ने भारत के अनुरोध का समर्थन नहीं किया और इस मामले में तकनीकी अड़चने पैदा करते हुए 1267 समिति की कार्रवाई में प्रतिरोध उत्पन्न किया।

सरकार सभी उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करके आतंक हिंसा के अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ संकल्प के साथ निरंतर प्रयासरत है।

*****

© विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वामित्व सामग्री.